17
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

17.1 सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लाभार्थ कई विशिष्ट स्कीमें तैयार की हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट स्कीमें

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र
- विशेष अनुशिक्षण स्कीम
- श्रमिक कल्याण कोष/स्कीम
- बंधुआ मजदूर पुनर्वास
- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र

17.2 इस योजना का आरंभ चार केन्द्रों पर प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1969-70 में हुआ। योजना की सफलता को देखते हुए यह 18 अन्य राज्यों में शुरू की गई । वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 22 अनुशिक्षण सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं । (इनमें जोवाई केन्द्र को पूरी तरह कार्यान्वित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है) । ये केन्द्र पुराने मामले की समीक्षा सहित अनुसूचित जाति/जनजातियों से संबंधित रोजगार के जिज्ञासु व्यक्तियों के लाभ हेतु व्यावसायिक सूचनाएं तथा वैयक्तिक मार्ग-दर्शन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं तथा आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । आवेदकों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते समय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । ये केन्द्र अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने में नियोक्ताओं का भी अनुवर्तन करते हैं ।

17.3 इसके अलावा इन केन्द्रों में से 13 केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं । जनवरी, 2003 से दिसम्बर 2003 के दौरान अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्य नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

कार्यकलाप	सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या
• पंजीकरण मार्गदर्शन	18437
• प्रस्तुतिपूर्व(प्री-सबमिशन) मार्गदर्शन	3643
• आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम	15744
• टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण	8756
• भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	1912

विशेष अनुशिक्षण योजना

17.4 केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित रिक्तियों में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उनके लिए "विशेष अनुशिक्षण योजना" नामक दूसरी योजना प्रारम्भ की है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को समूह "ग" पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना दिल्ली तथा गाजियाबाद में वर्ष 1973 में प्रायोगिक रूप में आरंभ की गई थी । अब तक इस योजना के 21 चरण पूरे हो गये हैं और 22 वां चरण 1.7. 2004 से प्रगति पर है।

17.5 उपर्युक्त योजना की सफलता को देखते हुए इसका वर्ष 1992 से बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, सूरत और कानपुर स्थित केन्द्रों तथा 1999 से गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम केन्द्रों के माध्यम से 12 और स्थानों पर विस्तार किया गया है। विशेष अनुशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 8890 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है ।

नई स्कीम का परिचय

17.6 यह स्कीम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती के पढ़े लिखे नौकरी चाहने वालों के लिए बैंगलूर, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर और सूरत स्थित कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों और एपटेक लि. के माध्यम से 6 माह का कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2004 से आरंभ की गई है। अभी तक 467 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों ने इसका लाभ उठाया है।

श्रमिक कल्याण कोष/योजनाएं

17.7 अभ्रक खान, लौह-अयस्क, मैगनीज-अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान, सिने और बीड़ी क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जल-आपूर्ति तथा परिवार कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित 5 श्रमिक कल्याण कोषों के तहत कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाओं पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को विशेष छूट है ।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

17.8 भारत में ऋण दासता प्रणाली कतिपय श्रेणियों की ऋणग्रस्तता के कारण है जिसमें कतिपय आर्थिक रूप से शोषित, असहाय तथा समाज के कमजोर तबके शामिल हैं । यह प्रणाली असमान सामाजिक संरक्षण के कारण शुरू हुई जिसका कारण भूमि और परिसंपत्तियों का असमान वितरण था। ऐसा देखा गया है कि चिह्नित और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों में से अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं।

17.9 मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पूनर्वास हेतु के मामले में राज्य सरकार के पुनर्वास के मामले में राज्य सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के 50:50 आधार पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को मई 1978 से शुरू किया। समय-समय पर स्कीम में बहुत से गुणात्मक परिवर्तन किए गए हैं और इसे उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है । पुर्नवास सहायता को मई, 2000 से प्रति बंधुआ मजदूर बढ़ाकर 20,000/- रुपए कर दिया गया है और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, यदि वे अपना हिस्सा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

17.10 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शन जारी किए गए हैं इस बात पर बल दिया गया है कि पुनर्वास प्रक्रिया के दो घटक होने चाहिए (i) मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (ii) भौतिक और आर्थिक पुनर्वास। जहां तक मनोवैज्ञनिक पुनर्वास का संबंध है, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को, जो कि प्रभुत्व और दासता के समाज के आदी हो गए हैं, यह विश्वास दिलाना होगा कि वह दूसरे मानवों की तरह अपनी आर्थिक आजीविका और अच्छा जीवन-निर्वाह करने के लिए हकदार है। आर्थिक पुनर्वास के संबंध में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए स्कीम का चयन बंधुआ मजदूरों की पसंद को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तद्नुसार, राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि केन्द्र प्रायोजित बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, अनुसूचित जाति संबंध विशिष्ट घटक योजना, अनुसूचित जनजाति उप योजना आदि जैसी चालू गरीबी उन्मूलन संबंधी अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर दिया जाए/जोड़ दिया जाए ताकि बंधुआ श्रमिकों के अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

सर्वेक्षण एवं शोध अध्ययन

17.11 श्रम ब्यूरो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के लिए दो प्रकार के अध्ययन करता है अर्थात (i) शहरी क्षेत्रों में झाडू -बुहारी, खाल उतारने तथा चर्मशोधन, हड्डी पिसाई तथा जूते बनाने जैसे अस्वच्छता वाले कार्यों के चार समूहों से जुड़े अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कामकाजी तथा रहन-सहन दशाएं । (ii) औद्योगिक शहरों के चुने हुए केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं । ब्यूरो ने अब तक 8 अनुसूचित जाति केन्द्रों तथा 7 अनुसूचित जनजाति केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है। अनुसूचित जाति के जयपुर स्थित केन्द्र की रिपोर्टें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

17.12 अन्तर-विभागीय निदेशन समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की कामकाजी और

रहन-सहन की दशाओं पर सर्वेक्षण कर निदेश प्रदान करने से संबंधित सौंपे गए कार्य के अध्ययन की चुने हुए शहरी केन्द्रों में अस्वच्छ व्यवसायों मात्र को ही कवर न किया जाए अपितु उस केन्द्र और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ व्यवसायों को भी कवर किया जाए। परिणामतः जयपुर (अनुसूचित जाति) केन्द्र (श्रेणी में 9वां) में इसी आधार पर मुख्य सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि अनुसूचित जनजाति सर्वेक्षणों को पूर्व में विशिष्ट केन्द्र के आधार पर करने के बजाए विशिष्ट इलाके के आधार पर किया जाए।

श्रम मंत्रालय में आरक्षण

17.13 श्रम मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों को **तालिका 17.1** में दर्शाया गया है ।

17.14 उपर्युक्त के अनुसार, श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित **कवरेज को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। अतः श्रम मंत्रालय से कहा गया है कि** रोजगार का कुल प्रतिशत क्रमश: 23.68% एवं 8.04% है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में आरक्षित पदों की कमी का मुख्य कारण उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है।

17.15 भारत सरकार ने उनके अंतर्गत सिविल पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अध्यधीन उच्च वर्ग को बाहर रखा जाएगा ।

17.16 "विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" की अपेक्षा के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल मंजूर पदों और उनके द्वारा धारित पदों की संख्या से संबंधित आंकड़ों को **तालिका 17.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 17.1

श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की श्रेणी	**कार्यरत स्टाफ**	**आरक्षण के आधार पर पद**		**अवस्थित**		**बेसी (+) कमी (-)**	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह "क" *	1127	169	85	199	72	+30	-13
समूह "ख"	1043	156	78	197	59	+41	-19
समूह "ग"	4278	642	321	873	381	+231	-60
समूह " घ"	2410	362	181	829	201	+467	-20
कुल	**8858**	**1329**	**665**	**2098**	**713**	**+769**	**-48**

***आरक्षण समूह "क" के निचले स्तर पर लागू होता है ।**

तालिका-17.2

कर्मचारियों की श्रेणी	**संस्वीकृत पदों की सख्या**	**अक्षम व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या**
समूह "क"	1069	02
समूह "ख"	1151	09
समूह "ग"	4470	75
समूह "घ"	2973	53

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

****